सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2012

बउनवान

मुकेश कुमार उम्र 45 वर्ष पुत्र कालूलाल जाति हरिजन निवासी हरनावदा शाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज.)

(निगराकार)

बनाम

1– ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी जर्ये सचिव, प0स0 छीपाबडौद।
2– रतननाथ पुत्र देवीलाल जाति नाथ निवासी हरनावदा शाहजी तह.छीपाबडौद जिला बारां।

(गैरनिगरकार)

निर्णय निगरानी अन्तर्गत धारा 92–97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– 1– श्री रूपचन्द सिघावत अभिभाषक **(निगराकार)**
2– श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक **(गैरनिगरकार क्रम 1)**
3– श्री ओम प्रकाश शर्मा अभिभाषक **(गैरनिगरकार क्रम 2)**

निर्णय दिनांक 21.05.2019

निगराकार ने यह निगरानी जर्ये अभिभाषक ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा पंचायत नाथ समाज के नाम से गैर–निगराकार क्रम 2 रतननाथ को जारी पट्टा क्रमांक 4324 बुक नं0 87 125X115 वर्गफीट दिनांक 20.08.2009 के विरूद्व निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दिनांक 06.09.2012 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–निगराकारगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी से मूल आबदी भूमि का पट्टा आवंटन विलेख तलब किया गया। गैर–निगराकार क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

निगराकार के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी ने दिनांक 20.08.2009 को पंचायत नाथ समाज के नाम से गैर–निगराकार क्रम 2 रतननाथ को पट्टा क्रम 4324 बुक नं0 87 से 125X115 वर्गफीट का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से 125X115 वर्गफीट का पट्टा जारी किए जाने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। पट्टा जारी करने के पूर्व व पट्टा जारी करने के वक्त अमल में लायी जाने वाली वैधानिक कार्यवाहियों की भी पालना नही की गई है। ग्राम हरनावदा शाहजी में आवन्टी रतननाथ गैर–निगराकार क्रम 2 जिसने पंचायत नाथ समाज के नाम पर पट्टा जारी करवाया है, उसके बाबत् वस्तुस्थिति यह है कि उक्त गांव में आवन्टी के अतिरिक्त और कोई परिवार नाथ समाज का निवास नही करता है, मात्र आवन्टी को ही नाथ समाज के नाम से सार्वजनिक भूमि का आवंटन करके कानून के

खिलाफ पहुॅचाया गया है। ग्राम पंचायत ने पट्टे से सम्बन्धित कार्यवाही का कोई विवरण कार्यवाही बैठक इत्यादि में उपलब्ध नही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि पट्टा बिना रिकार्ड संधारित किये ही जारी किया गया है। मौजूदा ग्राम पंचायत ने भी सर्वसम्मति से उक्त विवादित पट्टे को गैर–कानूनी पाते हुए, निरस्त किये जाने की अनुशंषा सर्वसम्मति से पारित की है। उक्त स्थान हरिजन समाज के धार्मिक क्रिया–कलापों के काम में आता है, इस स्थान पर हरिजन समाज का शिवजी का स्थान भी बना हुआ है, जहॉ पर हरिजन समाज जागरण करता आया है लेकिन उक्त पट्टे की आड में आवन्टी गैर–निगराकार क्रम 2 रतननाथ उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए हरिजन समाज को अपने धार्मिक क्रियाकलापों में बेवजह रूकावटे डालता है, जिसके कारण सार्वजनिक शान्ति भंग होने का अन्देशा हमेशा बना रहता है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि गैर–निगराकार क्रम 2 रतननाथ के नाम जारी क्रमांक 4324 बुक नं0 87 दिनांक 20.08.2009 से पट्टा नियम विरूद्व व अवैधानिक होने से निरस्त किया जावे।

अभिभाषक गैर–निगराकार क्रम 1 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा पंचायत नाथ समाज के नाम जारी पट्टा क्रम 4324 बुक नं0 87 से 125X115 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसका दिनांक 21.5.2012 को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव भी लिया गया है। जिससे संबंधित समस्त रिकार्ड इस न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। श्रीमान् द्वारा निगराकार एवं गैर निगराकार को सुने जाने पश्चात जो भी आदेश पारित किये जावेगे। उक्त आदेश की पालना ग्राम पंचायत द्वारा कर दी जावेगी।

अभिभाषक गैर–निगराकार क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा पंचायत नाथ समाज के नाम जारी पट्टा क्रम 4324 बुक नं0 87 से 125X115 वर्गफीट का जारी किया गया है। जो नियमानुसार विधि अनुरूप बैठक दिनांक 20.8.2009 के प्रस्ताव नं0 7 लिया जाकर जारी किया गया है। नाथ समाज मे व्यक्ति के फोत हो जाने के फलस्वरूप उसके शव को दफनाये जाने की परम्परा है। इसलिए नाथ समाज को शमशान हेतु उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा जारी किया गया है। निगराकार एवं गैर–निगराकार क्रम 2 के मध्य सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग छीपाबडौद मे भी प्रार्थना आर्ड 39 नियम 1,2 धारा 151 सी.पी.सी. का विचाराधीन है। यदि उक्त पट्टा निरस्त किया जाता है तो कानून व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा है। निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

हमने प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैरनिगराकार क्रम 1 एवं 2 की सुनी। ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा पंचायत नाथ समाज के नाम जारी पट्टा क्रम 4324 बुक नं0 87 से 125X115 वर्गफीट का जारी किया गया है। प्रकरण मे नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी को मौका कमिशनर नियुक्त किया जाकर, रिपोर्ट प्राप्त की गई। ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी से तलब किये गये समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि उक्त जारी किये गये आबादी भूमि के पट्टा आवंटन विलेख पर सचिव ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी की सील तो लगी हुई है। किन्तु उस पर सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नही हो रहे है आवंटी रतननाथ एवं सरपंच श्री ओम प्रकाश

खण्डेलवाल के हस्ताक्षर हो रहे है। पट्टा विलेख की द्वितीय प्रति पीले कलर की भी विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबडौद को नही भिजवाई गयी है, आदिनांक तक जिल्द मे लगी हुई है। किसी भी ग्राम मे शमशान हेतु भूमि के प्रस्ताव नियमानुसार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सक्षम अधिकारी तहसीलदार के माध्यम से भिजवाये जाने पर उनके द्वारा भूमि आवंटन की जाती है। यदि प्रकरण मे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो संबंधित हल्का पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी उच्च अधिकारियो को समय–समय पर सूचित करेगे। ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा दिनांक 21.5.2012 को उक्त पट्टे को निरस्त करवाये जाने हेतु भी प्रस्ताव लिया गया है। अतः हम उक्त ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा नियम विरूद्व जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

परिणाम स्वरूप निगराकार द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा पंचायत नाथ समाज के नाम आबादी भूमि का पट्टा आवंटन विलेख क्रमांक 4324 बुक नं0 87 से 125X115 वर्गफीट का निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबडौद एवं सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि को अविलम्ब कब्जेराज लिया जावे।

श्रीमान् आयुक्त/सचिव पंचायती राज विभाग (पंचायत राज) शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर, संभागीय आयुक्त, संभाग कोटा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारॉ को श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, तात्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी के विरूद्व अपने पद का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्व पंचायत राज अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पृथक से लिखा जाकर, ग्राम पंचायत हरनावदा शाहजी द्वारा पंचायत नाथ समाज के नाम जारी पट्टा क्रम 4324 बुक नं0 87 से 125X115 वर्गफीट की कलर छायाप्रतियॉ संलग्न कर भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां